उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या– 528 / वि0अनु0–5 / स्टाम्प / 2002
देहरादूनः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, वर्ष 1897) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी इसके प्रवर्तन के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या– II वर्ष 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित धारा 86 उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधि0सं0–29 / 2000) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से रु0 10,00,000 / – (दस लाख रुपये मात्र) से अनधिक राशि उधार लेने या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक लिखत पर (जिसके अन्तर्गत कोई बन्धक, प्रभार दृष्टिबन्धक (हाईपोशिकेशन) या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित दस्तावेज भी हैं) जहां ऐसी लिखत किसी कृषक जिसे औद्यानिकी विकास के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा सहायता प्राप्त की जा रही हो, द्वारा औद्यानिकी विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों के प्रयोजनार्थ किसी बैंक के पक्ष में निष्पादित की जाये, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(इन्दु कुमार पान्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 528 / वि0अनु0–5 / स्टाम्प / 2002,तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी , उत्तरांचल ।
3– आयुक्त, कर / महानिरीक्षक, निबन्धन उत्तरांचल, देहरादून।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 200–200 प्रतियाँ हिन्दी एवं अंग्रेजी में दिनांक–17.10.2002 के असाधारण गजट के भाग–4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उसकी प्रतियाँ वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6– न्याय / विधायी अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

4221
18-10-02

आज्ञा से,
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

स्टाम्प ....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
18/10/2002
आयुक्त कर
उत्तरांचल, देहरादून